Re-Accredited by NAAC with 'A' Grade

VEER NARMAD SOUTH GUJARAT UNIVERSITY
University Campus, Udhna-Magdalla Road, SURAT - 395 007, Gujarat, India.
વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી
યુનિવર્સિટી કેમ્પસ, ઉધના-મગદલ્લા રોડ, સુરત - ૩૯૫ ૦૦૭, ગુજરાત, ભારત.
Tel : +91 - 261 - 2227141 to 2227146, Toll Free : 1800 2333 011, Fax : +91 - 261 - 2227312
E-mail : info@vnsgu.ac.in, Website : www.vnsgu.ac.in

:: પરિપત્ર ::

યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તમામ તબીબી કોલેજના આચાર્યશ્રીઓને મેડીકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા (MCI)ના બોર્ડ ઓફ ગર્વનર, ન્યુ દિલ્હી દ્વારા ભારતના રાજપત્રમાં તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૮ના નોટીફીકેશન નં. **MCI-12(2)/ 2018- Med. Misc./ 142810** મુજબ તબીબી સંસ્થાઓમાં શિક્ષકોની નિમણૂંક અંગે બહાર પાડવામાં આવેલ ***"MINIMUM QUALIFICATION FOR TEACHERS IN MEDICAL INSTITUTIONS (AMENDMENT) REGULATIONS 2018"*** નો અમલ કરવા તથા અચૂક પાલન કરવા આથી જણાવવામાં આવે છે.

બિડાણ: ઉપર મુજબ.

ક્રમાંક: એસ(૧)/ પરિપત્ર/ ૨૨૬૬૯/ ૨૦૧૮
યુનિવર્સિટી કાર્યાલય, સુરત.
તા.૨૯-૧૨-૨૦૧૮

ઈ.ચા.કુલસચિવ

પ્રતિ,

(૧) યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તમામ તબીબી કોલેજના આચાર્યશ્રીઓ તરફ....
(૨) નાયબ કુલસચિવશ્રી, અનુસ્નાતક વિભાગ/ એકેડેમિક વિભાગ/ વહીવટી વિભાગ તરફ....
(૩) પરીક્ષા નિયામકશ્રી, પરીક્ષા વિભાગ તરફ....

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 1, 2018/कार्तिक 10, 1940
No. 407] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 1, 2018/KARTIKA 10, 1940

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2018

सं. भा.आ.प.-12(2)/2018-मेड.विविध/142810.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" को पुन: संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:-

1 (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं (संशोधन) नियमावली, 2018" कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998", में अनुसूची- I में क्रम संख्या 4 के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा:-

"**4क. एमडी/एमएस के साथ डीएनबी (सामान्य विशेषज्ञताएं) और डीएम/एम.सीएच के साथ डीएनबी (अति विशेषज्ञताएं) की शैक्षिक योग्यता की समतुल्यता का निर्धारण।**

(क) ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने किसी ऐसे संस्थान में डीएनबी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो अब किसी विशेष विषय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चलाता है, की डीएनबी शैक्षिक योग्यताओं को केवल उसी विषय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यताओं के समतुल्य माना जाएगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने विभिन्न स्नातकोत्तर/अतिविशेषज्ञता अध्यापन कार्यक्रमों में शामिल, कम से कम 500 बिस्तरों वाले बहु विशेषज्ञता अध्यापन अस्पताल में डीएनबी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, बशर्ते कि तीन डीएनबी पर्यवेक्षकों (अध्यापकों) में से एक अपनी पिछली नियुक्ति में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में अर्हता प्राप्त

करता/करती है और बाकी दो में एक को अध्यापन बिस्तर की निम्नलिखित शर्तों के साथ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए।

स्नातकोत्तर सामान्य विशेषज्ञताएं : 30 बिस्तर प्रति इकाई } 50% बिस्तर, अध्यापन
स्नातकोत्तर अति विशेषज्ञताएं : 20 बिस्तर प्रति इकाई } बिस्तर होने चाहिए।

ऐसी किसी शैक्षिक योग्यता को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यता माना जाएगा।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/ट्यूटर के रूप में विषय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव है या अन्य स्थानों/संस्थानों (100 या इससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों) में सामान्य विशेषज्ञताओं और अति विशेषज्ञताओं दोनों में डीएनबी प्रशिक्षण के दौरान कार्य अनुभव प्राप्त किया है, वे एमडी/एमएस/डीएम/एम.सीएच. के साथ समतुल्यता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त किसी संस्थान में एक वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अतिरिक्त एक वर्ष के लिए कार्य करेंगे।

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/ट्यूटर के रूप में विषय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव है या उप-खंडों (क) से (ग) में कवर न किए गए किसी संस्थान में सामान्य विशेषज्ञता और अति विशेषज्ञताओं दोनों पाठ्यक्रम में डीएनबी प्रशिक्षण के दौरान या डीएनबी शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात कार्य अनुभव प्राप्त किया है, वे एमडी/एमएस/डीएम/एम.सीएच के साथ समतुल्यता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त किसी संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट/अनुसंधान एसोसिएट (सीएसआईआर) के रूप में दो अतिरिक्त वर्ष के लिए कार्य करेंगे।

3. "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" में अनुसूची-I में, दिनांक 5/6/2017 की अधिसूचना के अंतर्गत यथासंशोधित खंड 6 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"कुल आठ वर्ष का अध्यापन अनुभव, रखने वाले, किसी मेडिकल कालेज या संस्थान में अध्यापकों को सामान्य विशेषज्ञताएं स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिसमें से कम से कम चार वर्ष का अध्यापन अनुभव, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त किया गया हो, अनुक्रमित जरनलों में दो अनुसंधान प्रकाशनों के साथ सहायक प्रोफेसर के रूप में हो,

अति विशेषज्ञताओं के मामले में केवल उन्हीं अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिनके पास 6 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो जिनमें से दो वर्ष का अध्यापन अनुभव, उच्चतर विशेषज्ञता डिग्री प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त किया गया, सहायक प्रोफेसर के रूप में हों।"

I. सामान्य विशेषज्ञताएं (एमडी/एमएस/डीएनबी)

पद	शैक्षिक योग्यता	अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव
प्रोफेसर/अपर प्रोफेसर (स्नातकोत्तर के पश्चात 8 वर्ष का अनुभव)	संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता एमडी/एमएस/डीएनबी	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक के रूप में एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल के दौरान न्यूनतम 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ संचयी आधार पर अनुक्रमित जर्नल में 4 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यताप्राप्त किसी मेडिकल कालेज/संस्थान में 3 वर्ष के लिए उस विषय में एसोसिएट प्रोफेसर।
एसोसिएट प्रोफेसर (स्नातकोत्तर के पश्चात 5 वर्ष का अनुभव)	संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता एमडी/एमएस/डीएनबी	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक के रूप में अनुक्रमित जनरलों में 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ किसी अनुमतिप्राप्त/अनुमोदित/मान्यताप्राप्त किसी मेडिकल कालेज/संस्थान में 4 वर्ष के लिए उस विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में।
सहायक प्रोफेसर	संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता एमडी/एमएस/डीएनबी	संबंधित विषय में किसी मान्यताप्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कालेज में, कनिष्ठ रेजीडेंट के रूप में 3 वर्ष और किसी मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष। अनुसूची- I के खंड 4क के अनुसार एमडी/एमएस के समतुल्य माने गए डीएनबी अभ्यर्थी के मामले में, रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/ट्यूटर के रूप में विषय में 3 वर्ष के अध्यापन अनुभव या डीएनबी प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त किए गए कार्य अनुभव के अलावा, किसी मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष।

वरिष्ठ रेजीडेंट (सामान्य विशेषज्ञताएं)

वरिष्ठ रेजीडेंट	वरिष्ठ रेजीडेंट एक ऐसा व्यक्ति है, जो स्नातकोत्तर डिग्री (एमडी/एमएस/डीएनबी) प्राप्त करने के पश्चात संबंधित स्नातकोत्तर विषय में अपनी रेजीडेंसी कर रहा/रही है, और 40 वर्ष से कम आयु का/की है।

II. अति विशेषज्ञताएं (डीएम/एमसीएच/डीएनबी)

पद	शैक्षिक योग्यता	अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव
प्रोफेसर/अपर प्रोफेसर (स्नातकोत्तर के पश्चात 5 वर्ष का अति विशेषज्ञता अनुभव)	संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता डीएम/एमसीएच/डीएनबी में अति विशेषज्ञताएं स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता।	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक के रूप में एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल के दौरान न्यूनतम 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ संचयी आधार पर अनुक्रमित जर्नल में 4 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यता प्राप्त किसी मेडिकल कालेज/संस्थान से 3 वर्ष के लिए उस विषय में एसोसिएट प्रोफेसर।
एसोसिएट प्रोफेसर (स्नातकोत्तर के पश्चात 2 वर्ष का अति विशेषज्ञता अनुभव)	संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता डीएम/एमसीएच/डीएनबी में अति विशेषज्ञताएं स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता।	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक के रूप में अनुक्रमित जर्नलों में 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ किसी अनुमति अनुमोदित/मान्यता प्राप्त किसी मेडिकल कालेज/संस्थान में 2 वर्ष के लिए उस विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में।
सहायक प्रोफेसर	संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार अनुसूची – I के खंड 4क के अनुसार डीएम/एमसीएच के बराबर माने गये डीएनबी या डीएम/एमसीएच में अति विशेषज्ञता स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता।	

वरिष्ठ रेजीडेंट (अति विशेषज्ञताएं)

वरिष्ठ रेजीडेंट	संबंधित विषय में एमसीएच/डीएम के लिए पंजीकृत।

4. **निरसन और व्यावृति**

1. दिनांक 03.11.2010 और 11.06.2012 को अधिसूचना में डीएनबी शैक्षिक योग्यताओं की समतुल्यता से संबंधित सभी उपबंध निरस्त हो गए हैं।

2. उपर्युक्त उपबंधों के निरस्त होते हुए भी, इन उपबंधों के आधार पर की गई नियुक्तियां, इन नियुक्त व्यक्तियों (भिन्न-भिन्न कालेजों/संस्थानों में स्थानातंरण/पुनर्नियुक्तियों सहित) अधिवर्षिता तक प्रवृत्त बनी रहेंगी।

डॉ. संजय श्रीवास्तव, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/330/18]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली, नामतः "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" 05 दिसंबर, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग III खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03/11/2010, 08/07/2011, 12/06/2012, 06/09/2012, 01/10/2012, 16/05/2015, 13/07/2016, 11/03/2017, 08/06/2017 और 23/01/2018 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2018

No. MCI-12(2)/2018-Med.Misc./142810.—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998, namely:—

1. (i) These regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2018".

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in Schedule – I, the following clause shall be added after Sl. No. 4 :-

"4A. **Determination of equivalence of the qualification of DNB (Broad Specialities) with MD/MS & DNB (Super-Specialities) with DM/M.Ch.**

(a) Those candidates who have undergone DNB training in an institution which now runs MCI recognized postgraduate degree courses in a given subject, their DNB qualifications shall be considered at par with MCI recognized qualifications in that subject only.

(b) Those candidates who have undergone DNB training in a multi speciality teaching hospital with atleast 500 beds, involved in various postgraduate/super-speciality teaching programmes provided that the one out of three DNB supervisors (teachers) qualify as postgraduate teacher as per MCI norms in his/her previous appointment; and one out of remaining two should qualify as postgraduate teacher as per MCI regulations with the following bed requirement for teaching unit.

Postgraduate Broad Specialities	30 beds per unit	50% beds should be teaching beds.
Postgraduate Super Specialities	20 beds per unit	

Such a qualification shall be considered at par with MCI recognized qualification.

(c) Those candidates who have three years teaching experience in the subject as Resident/Registrar/ Demonstrator/ Tutor / or work experience gained during DNB training in both Broad Specialities and Super-Specialities course in other locations/institutions (100 or more bedded hospitals) shall work for one additional year as a senior resident in a MCI recognized/permitted institution for equivalence with MD/MS/DM/M.Ch.

(d) Those candidates who have three years teaching experience in the subject as Resident/Registrar/ Demonstrator/ Tutor / or work experience gained during DNB training or after possessing DNB qualification,in both Broad Specialities and Super-Specialities course from an institution not covered in sub-clauses (a) to (c) shall work for two additional year as Sr. Resident/Research Associate (CSIR) in a MCI recognised/permitted medical college/institution for equivalence with MD/MS/DM/M.Ch.

3. In the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in Schedule 1, clause 6 as amended vide notification dated 05.06.2017, shall be substituted with the following :-

"The teachers in a medical college or institution having a total of 8 years teaching experience out of which at least 4 years teaching experience as Assistant Professor with two research publications in indexed journals gained after obtaining postgraduate degree shall be recognized as post graduate teacher in broad specialties.

In case of super specialties only those teachers who possess 6 years teaching experience out of which at least 2 years teaching experience as Assistant Professor gained after obtaining the higher specialty degree shall be recognized as post graduate teacher."

I. Broad Specialities (MD/MS/DNB)

Posts	Aca. Qual.	Teaching & Research Exp.
Professor/Addl. Professor (8 years of Post PG Experience)	A post graduate qualification MD/MS/DNB in the concerned subject and as per these Regulations	Associate Professor in the subject for 3 years in a permitted/approved/recognized medical college/institution with 4 Research Publications in Indexed Journal on Cumulative basis with minimum of 2 Research Publications during the tenure of Associate Professor as Ist Author or as corresponding author.
Associate Professor (5 years of Post PG	A post graduate qualification MD/MS/DNB in the concerned subject	As Assistant Professor in the subject for 4 years in a permitted/approved/recognized medical college/institution with 2 Research Publications in Indexed Journals as Ist Author or as

experience)	and as per these Regulations.	corresponding author.
Assistant Professor	A post graduate qualification MD/MS/DNB in the concerned subject and as per these Regulations.	3 years Junior Resident in a recognized/permitted medical college in the concerned subject and one year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college. In case of DNB candidate equated to MD/MS in terms of clause 4A of Schedule– I, in addition to 3 year teaching experience in the subject as Resident /Registrar / Demonstrator/ Tutor / or work experience gained during DNB training, one year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.

Senior Resident (Broad Specialties):

Senior Resident	Senior Resident is one who is doing his/her residency in the concerned post graduate subject after obtaining PG degree (MD/MS/DNB) and is below 40 years of age.

II. Super Speciality (DM/M.Ch./DNB)

Posts	Aca. Qual.	Teaching & Research Exp.
Professor/ Addl. Professor (5 years of Post Super Speciality experience)	A super speciality post graduate qualification in DM/M.Ch./DNB in the concerned subject and as per these Regulations.	Associate Professor in the subject for 3 years in a permitted/ approved/recognized medical college/institution with 4 Research Publications in Indexed Journal on cumulative basis with minimum of 2 Research publications during the tenure of Associate Professor as Ist Author or as corresponding author.
Associate Professor/(2 years of Post Super Speciality experience)	A super speciality post graduate qualification in DM/M.Ch./DNB in the concerned subject and as per these Regulations.	As Assistant Professor in the subject for 2 years in a permitted/ approved/recognized medical college/ institution with 2 Research Publications in Indexed Journals as Ist Author or as corresponding author.
Asst. Professor	A super speciality post graduate qualification in DM/M.Ch. or DNB equated to DM/M.Ch. in terms of clause 4A of Schedule - I in the concerned subject and as per these Regulations.	

Senior Resident (Super Specialities)

Senior Resident	Registered for M.Ch./DM in the concerned subject

4. Repeal and savings :-

1. All the provisions related to equivalence of DNB qualifications in the notification dated 03.11.2010 &11.06.2012 stand repealed.

2. Notwithstanding the repeal of the aforesaid provisions, an appointment made on the basis of such provisions, shall continue to be in force until superannuation of such appointees (including transfer/reappointments in different colleges/institutes)

Dr. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy. Genl.

[Advt.-III/4/Exty./330/18]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998" were published in Part- III, Section (4) of the Gazette of India on the 5th December, 1998 and amended *vide* MCI notifications dated 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03.11.2010, 08.07.2011, 12.06.2012, 06.09.2012, 01.10.2012, 16.05.2015, 13.07.2016, 11.03.2017, 08.06.2017 and 23.01.2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.11.03 14:12:49 +05'30'